कार्यालय नगर पालिका पिलानी

पट्टा संख्या – 307 दिनांक – 20.06.2013

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर– कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2013 के माह जून के 20 वें दिन नगरपालिका मण्डल पिलानी(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कह कर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री सादीलाल कटारिया मेमोरियल संस्था पिलानी जरिये श्री शेर सिंह सैनी पुत्र श्री सादीलाल जाति माली निवासी पिलानी (जिनको इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबंधक, प्रतिनिधी और मुन्तकिल अले भी सम्मिलित होंगें के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क रकम जो लीजधारक(पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है ओर जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगें, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का व तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना L - VI राजस्व ग्राम पिलानी के खसरा संख्या 641 क्षेत्रफल 10285.51 वर्गगज अथवा 8600 वर्ग मीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इनके अन्तर्गत लिये गये परिशिष्ठ में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधित स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, प्रतिबन्धों, बन्धनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय – समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 क उपनियम(1)`क अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 239900/– अंकेही दो लाख उनचालीस हजार नौ सौ मात्र पेशगी अदा करेगा,परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एकबारिय नगर निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुये, पूर्ण वार्षिकनगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गई नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के सन्दाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण कर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथा स्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगा।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृती अधिकार 99 वर्ष के लिये होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संस्थानिक प्रयोजन, जिसके लिये नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गई है, के लिये किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अवधि के भीतर जो नियम – 26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उपपट्टे दे सकेगा।उक्तनियमों में अन्तर्विष्ट निर्बंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन परिवर्तन सहित, अन्तरिति या उप–पट्टेदार पर इस लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निर्बंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें,शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख,दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे।प्रत्येक अन्तरण के लिये आवेदन के साथ 10रू. प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी,परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज,आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुर्भिसंधि या उसके उल्लंघन में कपट पूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निमार्ण सहित उसे प्रति संहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिये दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड/सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी. एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिये बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम – पिलानी पूर्व – रास्ता पश्चिम – अन्य की भूमि भूखण्ड की सं. यदि कोई हो

राजस्व ग्राम – पिलानी उत्तर – जगदीश,गोपाल,चतुर्भुज दक्षिण – रास्ता

खसरा नम्बर – 641

योजना का नाम – L - VI

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल पूर्व – 401'9" फीट पश्चिम – 316'6" फीट

8600 वर्ग मीटर उत्तर – 257'5" फीट दक्षिण – 270'3" फीट

पट्टा तैयारकर्ता कनिष्ट अभियंता

इसके साक्षी के रूप में उसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 2013 के माह 06 के 20 वें दिन श्री दिनेश चन्द्र भार्गव अधिशाषी अधिकारी एवं श्रीमती शांति देवी अध्यक्ष ने निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये

शांति
अध्यक्ष
नगर पालिका पिलानी

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका पिलानी प्रथम पक्ष

साक्षी :–

1. नाम श्री लीलाधर सैनी
   पुत्र श्री बृज लाल सैनी
   व्यवसाय खेती
   निवास स्थान पिलानी
2. नाम श्रीमती सुनिता
   पुत्र श्री शिवलाल
   व्यवसाय नौकरी
   निवास स्थान हॉल पिलानी

लीलाधर
साक्षी

आज दिनांक 21.06.13 को ... 53 ... 2013-000681 ... 402 ... 237 से 242 ... 55

साक्षी

आज सन् 2013 के माह 06 के 20 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति मे उक्त श्री शेरसिंह सैनी लीजधारक द्वारा कार्यालय नगर पालिका पिलानी में हस्ताक्षर किये गये।

SECRETARY
S.L.K.M.W.T.T. College
Pilani (Raj.)-333031
लीजधारक – द्वितीय पक्ष

1. नाम श्री लीलाधर सैनी
   पुत्र श्री बृजलाल सैनी
   व्यवसाय खेती
   निवास स्थान पिलानी
2. नाम श्रीमती सुनिता
   पुत्र श्री शिवलाल
   व्यवसाय नौकरी
   निवास स्थान हाल - पिलानी

लीलाधर
साक्षी

साक्षी